

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 111 / 2026

सकरुलनिशा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 19 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शुभम गुप्ता, आयुष शर्मा, सुरेश कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम गुप्ता के वाद-धारक अधिवक्ता श्री रवींद्र नाथ सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल तेहलानी और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद-धारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना।
2. सार्वजनिक हित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 और 3 को ग्राम-मेहरबानबाद, तहसील- कर्नलगंज, गोंडा में स्थित भूमि गाटा संख्या 92, क्षेत्रफल 1.192 पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, कर्नलगंज, गोंडा द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि निजी विपक्षीगण द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी2017083047053259, टी2017083047054807, टी2017083047053980, टी201708300506118, टी2017083047053257, टी2017083047053979, टी2017083047053991,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

टी2017083047053985, टी2017083047053986, टी2017083047053976,
टी2017083047053983, टी2017083047053989, टी2017083047053975 और
टी2017083047053254 में कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

5. वर्तमान याचिका यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित की जाती है कि उपरोक्त वाद संख्या
टी2017083047053259, टी2017083047054807, टी2017083047053980,
टी201708300506118, टी2017083047053257, टी2017083047053979,
टी2017083047053991, टी2017083047053985, टी2017083047053983,
टी2017083047053986, टी2017083047053976, टी2017083047053989,
टी2017083047053975 और टी2017083047053254 में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67
के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना,
विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक संपन्न की जाएगी।

12 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)